



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 जनवरी, 2004 ई०

पौष 29, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 503/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 19 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर दिनांक 16-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 31, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि अधिनियम, 2003

(अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2003)

कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिये निधि स्थापित किये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभावी समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

- (क) "हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि" का तात्पर्य कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिए स्थापित निधि से है;
- (ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है;
- (ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है;
- (घ) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य सदस्य सचिव, अनन्त निधि से है;
- (च) "वर्ष" का तात्पर्य पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले 12 माह से है;
- (छ) "कोष" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्राप्तियों से है;
- (ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

अध्याय-2

निधि की कार्यकारिणी

3. (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी जो निधि के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी एवं अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगी। निधि के वित्तीय एवं इतर समस्त कार्यकलाप कार्यकारिणी द्वारा प्रशासित होंगे। यह एक निगमित निकाय होगा जिसकी सारस्वत उत्तराधिकारिता तथा एक सामान्य मुद्रा होगी।

- (2) कार्यकारिणी के निम्न सदस्य होंगे :—

(क) पदेन सदस्य :

(1) मुख्यमंत्री, उत्तरांचल राज्य	अध्यक्ष
(2) शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल राज्य	उपाध्यक्ष
(3) मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(4) सचिव, नियोजन, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(5) सचिव, वित्त, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(6) सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(7) सचिव, पर्यटन, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(8) सचिव, संस्कृति, उत्तरांचल सरकार	सदस्य
(9) सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल सरकार	सदस्य सचिव
(10) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल	सदस्य
(11) कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
(12) अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद्, हरिद्वार	सदस्य
(13) श्री गंगा सभा, हरिद्वार के अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
(14) जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं टिहरी	सदस्य

(ख) नामित सदस्य :

- (1) कार्यकारिणी अधिकतम चार सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित कर सकेगी।

(2) कार्यकारिणी द्वारा व्यापार एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा एवं साहित्य के क्षेत्रों के मूर्धन्य व्यक्तियों को संरक्षक की प्रास्थिति से विभूषित किया जा सकता है। इन संस्थाओं को निधि के उद्देश्यों एवं कारणों को अग्रसर करने हेतु बहुमूल्य परामर्श/संरक्षण देने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

4. (1) निधि के कार्यकलापों का संचालन एवं प्रबन्धन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा, जो उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप निधि की ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकार का प्रयोग करेगी जो इसके सुगम संचालन के लिए विवेकपूर्ण और आवश्यक हो।

कार्यकारिणी की शक्तियां, कर्तव्य एवं अधिकार

(2) निधि की समस्त चल एवं अचल या अन्य प्रकार की सम्पत्ति कार्यकारिणी में निहित होगी।

(3) पूर्वगामी प्राविधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारिणी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

- (i) उपहार, दान, अनुदान, विनिमय, पट्टा द्वारा भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति का उससे संलग्न सभी अधिकारों सहित अर्जन करना;
- (ii) निधि की सम्पत्ति का प्रबन्धन करना;
- (iii) निधि के लिए उपहार, दान, अनुदान आदि द्वारा धन जुटाना;
- (iv) निधि के लिए एवं निधि की ओर से धन, प्रतिभूतियों, विलेख एवं/अथवा अन्य चल सम्पत्तियां प्राप्त करना;
- (v) अपने प्रत्यापित अभिकर्ताओं द्वारा रसीद निर्गत करना, विलेखों का निष्पादन एवं हस्ताक्षर करना, चौकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन या मिति काटन करना;
- (vi) उन अभिलेखों एवं लिखतों का निर्माण, निष्पादन एवं उन पर हस्ताक्षर करना जो निधि के कार्यकलापों के संचालन व निधि की सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए उचित एवं आवश्यक हो;
- (vii) निधि की किसी चल या अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन, अन्तरण, निपटान;
- (viii) पदाधिकारियों की शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण;
- (ix) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;
- (x) समय-समय पर उन एवं उत्तनी संख्या में उन शर्तों पर व्यक्तियों को रखना जो निधि के कार्यकलापों निधि द्वारा आरम्भ किये गये अध्ययनों, अन्वेषणों, शोधों, प्रशिक्षणों एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु उपयुक्त हों;
- (xi) निधि के कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं उच्चस्थता बनाये रखना;
- (xii) कार्यकारिणी को निम्न विषयों के सम्बन्ध में उपविधियां बनाने का अधिकार होगा :-
 - (क) निधि की सम्पत्ति, कोष, कार्यकलापों तथा कार्यों का प्रबन्धन;
 - (ख) समय-समय पर गठित निकायों एवं कार्यकारिणी की बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण;
 - (ग) अन्य ऐसे विषय जो आवश्यक पाये जायें।

5. (1) धारा-4 में विहित शक्तियों/कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/सदस्य सचिव की निम्न शक्तियां/कर्तव्य होंगे-

अध्यक्ष/सदस्य सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

(क) अध्यक्ष, निधि का प्रमुख होगा, जो कार्यकारिणी की बैठकों का सभापतित्व करेगा एवं पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्देश जारी करेगा। वह कार्यकारिणी की आपात बैठक बुला सकता है।

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उसमें समस्त वे शक्तियां निहित होंगी जो उसे औपचारिक रूप से लिखित रूप में अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित की जायें।

(ग) सदस्य सचिव निधि की सम्पत्ति पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा निधि के प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों की देखरेख करेगा। सदस्य सचिव के निधि के लेखों के उचित रखरखाव तथा उनकी निर्धारित वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह अध्यक्ष के परामर्श और पूर्व स्वीकृति से आरम्भ किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कार्यकारिणी की बैठकें

6. कार्यकारिणी की बैठकें वार्षिक होंगी, परन्तु विशेष स्थितियों में जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष की अनुमति से इसकी बैठक हो सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक के लिए पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है।

कर्मचारीबृन्द एवं उनके पारिश्रमिक

7. कार्यकारिणी अपने कृत्यों और कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियत अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अनधिक होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को स्टाफ में अनुबन्ध अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति तथा उनकी ऐसी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की शर्तें विहित कर सकेगी, ऐसी नियुक्तियों पर आने वाला व्यय निधि के कोष से वहन किया जायेगा।

अध्याय-3

निधि कार्यालय

8. निधि का कार्यालय सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून अर्थात् निधि के पदेन सचिव के कार्यालय में पृथक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया जाएगा।

निधि का वित्तपोषण

9. (1) कार्यकारिणी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें निधि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि (जिसमें दान एवं अनुदान आदि सम्मिलित है) जमा की जायेगी तथा उससे निधि के सभी खर्चों की जिनमें कोई भुगतान या अनुदान देना तथा क्रियान्वित भार सम्मिलित है, भुगतान किया जायेगा।

(2) निधि व्यक्तियों, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों से प्राप्त दान एवं अंशदान आदि विभिन्न स्रोतों से धन जुटायेगी।

(3) कार्यकारिणी निधि में जमा कोई भी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश कर सकती है।

(4) कार्यकारिणी साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा कुल प्राप्तियों की दो तिहाई तक सीमित धनराशि निधि के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सुसंगत कार्यों/गतिविधियों पर उन तरीके से जैसा वह उपयुक्त एवं उचित समझे, व्यय करने को अधिकृत कर सकती है।

(5) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐक्ट, 1949 (संख्या 38, वर्ष 1949) में विहित अर्थानुसार व्यवसायरत् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिसे वार्षिक आधार पर कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त किया जायेगा, निधि के वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा की जायेगी।

(6) यथासाध्य प्रत्येक वर्षान्त के उपरान्त यथाशीघ्र परन्तु अगले वर्ष के 30 सितम्बर से विलम्बतम नहीं, कार्यकारिणी उस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और समिति की प्रतिवेदन आख्या प्रकाशित करायेगी तथा उक्त लेखों और प्रतिवेदन की प्रतियां निधि के सभी सदस्यों एवं राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(7) कार्यकारिणी के बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक की देहरादून एवं हरिद्वार की मुख्य शाखाओं में खोले जायेंगे, जो निधि के संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से परिसंचालित होंगे।

10. कार्यकारिणी उस समय के पूर्व जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये वार्षिक प्रशासनिक प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अध्याय-4 (प्रकीर्ण)

11. राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी सूचनाएं एवं लेखे मांग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से यह समाधान करने के लिये लेखा एवं सूचनाएं आवश्यक होंगे कि निधि का कोष उचित रूप से प्रबन्धित, अनुरक्षित एवं प्रशासित है एवं मांगने की शक्ति कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल वे सूचनाएं एवं लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

12. कार्यकारिणी अथवा इसके किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राविधानों न्यायिक वाद एवं के अन्तर्गत निधि के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक किये गये कार्यवाही पर कार्यवाही किसी कृत्य या तात्पर्यित रूप से समझे गये किसी कृत्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही प्रतिबन्ध किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकेगी।

13. (1) कार्यकारिणी निम्न प्रयोजनों के लिये ऐसे उपनियम बना सकती है, जो कार्यकारिणी की इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित उपविधि अथवा किसी अन्य विधि से असंगत उपनियम बनाने न हो :- की शक्ति

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा कार्यकारिणी के सदस्यों में कर्तव्यों का विभाजन;

(ख) बैठकों से इतर उनके निर्णयों के अभिनिश्चयन की रीति;

(ग) कार्यकारिणी की बैठकों के कामकाज का संचालन एवं प्रक्रिया;

(घ) किसी सदस्य या उपसमिति या उपसमितियों को कार्यकारिणी की शक्तियों का प्रतिनिधायन;

(च) कार्यकारिणी के कार्यालय में रखे जाने वाले बही खाते;

(छ) निधि के कोष की अभिरक्षा एवं अभिनियोजन;

(ज) कार्यकारिणी के बजट में सम्मिलित किये जाने वाले या छोड़ दिये जाने वाले विवरण;

(झ) बैठकों का समय एवं स्थान;

(ट) बैठकों की सूचना दिये जाने की रीति;

(ठ) बैठक की कार्यवाही के अभिलेखन एवं प्रकाशन की रीति;

(ड) कार्यकारिणी को किये गये भुगतान हेतु जिन व्यक्तियों द्वारा रसीद जारी की जायेगी;

(ढ) कर्तव्यों का पालन।

(2) राज्य सरकार की पुष्टि के उपरांत सभी उपनियम अथवा वर्तमान उपनियमों का परिवर्तन या निरसन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा एवं तदुपरांत विधि का बल रखेंगे।

14. अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कठिनाइयों के राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये कार्यवाही कर सकती निवारण की शक्ति है जो इस अधिनियम के असंगत न हो।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।